जिला गजट

सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 32

रामगढ़ दिन : मंगलवार
दिनांक 04.08.2015

समाहर्त्ता द्वारा निकाले गये भू–अर्जन संबंधी

प्रारम्भिक अधिसूचना

विषय सूची

प्रारम्भिक अधिसूचना पृष्ठ संख्या 01 से 02

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 428/भू0अ0, रामगढ़, दिनांक 06.07.2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम गोला, थाना गोला, थाना सं0 26, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा गोला चारू पथ के कि0मी0 3 में गोमती नदी पर उच्च स्तरीय पूल निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम गोला, थाना गोला, थाना सं0 26, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.19 एकड़ यानि 0.0769 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	27	572 अंश	रैयती	कृषि	0.17	निहार रंजन, निरद कुमार, कुमार विशाल रंजन पिता लाल किशुन राम, गोला	1679	572	रोड	572 अंश
2	50	573 अंश	रैयती	कृषि	0.02	अंजनी कुमार कुशवाहा पिता स्व0 रामलगन महतो	572	573 अंश	रोड	572 अंश
				कुल रकबा	0.19					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र

करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ और संबंधित राजस्व कर्मचारी गोला अंचल को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्व व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,	**अपर समाहर्त्ता,**	**उपायुक्त,**
रामगढ़।	रामगढ़।	रामगढ़।